भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 728

दिनांक 06.02.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन हेतु परिचालन दिशानिर्देश

728. श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के परिचालन दिशानिर्देश दिए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है और राज्य-वार क्या निधि साझेदारी नमूना अपनाया गया है;
(ङ) क्या सरकार ने मिशन के कार्यान्वयन पहलुओं के विषय में अन्य मंत्रालयों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के बारे में राज्यों और विभिन्न हितधारकों के साथ भी कोई विचार-विमर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (च) भारत सरकार ने अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य 3.60 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से, जिसमें केन्द्रीय हिस्सेदारी 2.08 लाख करोड़ रुपए है, राज्यों के साथ मिलकर वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों की

मार्फत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना है।

इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 10,000.66 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है तथा दिनांक 03.02.2020 की स्थिति के अनुसार राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को 6914.45 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

विधान सभा वाले हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण का अनुपात 90:10 का है, बिना विधान सभा वाले केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए केन्द्रीय हिस्सेदारी 100% है तथा शेष राज्यों के लिए यह अनुपात 50:50 है।

जल जीवन मिशन की शुरूआत के बाद, नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके बाद, इस मिशन हेतु प्रचालनात्मक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए कार्य-पद्धतियों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने हेतु राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और जल क्षेत्र के अन्य स्टेकधारकों को शामिल करते हुए, पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

जल जीवन मिशन के प्रस्ताव को सरकार के अनुमोदन हेतु तैयार करते समय तथा इस मिशन के कार्यान्वयन हेतु प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देते समय, नीति आयोग समेत विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/ विभागों से परामर्श किया गया।

विभिन्न स्टेकधारकों से प्राप्त सूचनाओं की जांच की गई तथा जो सूचनाएं केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अनुरूप थीं, उन्हें प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में समाहित कर लिया गया है और इन दिशानिर्देशों को 25.12.2019 को जारी किया गया।